

रजिस्टर्ड नं० एत० ३८०



सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 22 अगस्त, 1971

श्रावण 31, 1893 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 3729/सत्रह—95-71

दिनांक लखनऊ, 22 अगस्त, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, 1971 पर दिनांक 21 अगस्त, 1971 ई० में अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण)
अधिनियम, 1971**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में अग्रतर संशोधन करने के लिए;

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 12 में, उपधारा (2) में, शब्द "ग्यारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट
संख्या 26, 1947
की धारा 12 का
संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 33,
1961 की धारा
8 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्या-
देश संख्या 5,
1971 का निर-
सन

3—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 8 में, उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिया जाये।

4—उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तार) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

No. 3729 /XVII—95-71

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gaon Panchayat tatha Kshetra Samiti (Karyakal Ka Vistarana) Adhiniyam, 1971 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 21, 1971.

THE UTTAR PRADESH GAON PANCHAYATS AND KSHETTRA SAMITIS
(EXTENSION OF TERM) ACT, 1971
(UTTAR PRADESH ACT No. 18 OF 1971)
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Gaon Panchayats and Kshetra Samitis (Extension of Term) Act, 1971.

Amendment of section 12 of U. P. Act XXVI of 1947.

2. In the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, in section 12, in sub-section (2) for the words "eleven years", the words "twelve years" shall be substituted.

Amendment of section 8 of U. P. Act XXXIII of 1961.

3. In the Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, in section 8, in sub-section (1), in the first proviso thereto for the words "four years", the words "five years" shall be substituted.

Repeal of U. P. Ordinance No. 5 of 1971.

4. The Uttar Pradesh Gaon Panchayats and Kshetra Samitis (Extension of Term) Ordinance, 1971, is hereby repealed.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव।